


प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021  
 फर्द अहकाम  
 ( नियम 26)  
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ  
**बिदामी बनाम सरकार**

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 68 सन-2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
08.10.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट रामसरा में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 19/19 की कुल 5.3000हैक् 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का निवास स्थान जोगीवाला सिरसा दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही निवास स्थान चक 26 एनटीआर रामसरा है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, आदि सभी में प्रार्थी का नाम निवास स्थान चक 26 एनटीआर रामसरा दर्ज है प्रार्थी अपना निवास स्थान चक 26 एनटीआर रामसरा दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नोहर ने मजमे आम में जानकारी एवं दस्तावेजात के आधार पर नाम संशोधन की अभिशपां की गई है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का निवास स्थान जोगीवाला सिरसा दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी का निवास स्थान चक 26 एनटीआर रामसरा दर्ज है</p> <p>प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में कैम्प के दौरान सरपंच के द्वारा प्रार्थी के निवासी स्थान तस्दीक किया जाकर प्रमाण पत्र पेश किया गया जिससे प्रार्थी का निवास स्थान चक 26 एनटीआर रामसरा होना प्रतीत होता है निवास स्थान संशोधन से राज्यहकों को कोई हानी नही होती राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 19/19 की कुल 5.3000हैक् भूमि में प्रार्थीयागण का निवास स्थान जोगीवाला सिरसा दर्ज है के स्थान पर निवासी स्थान चक 26 एनटीआर रामसरा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>सुशासन</p> <p>प्रशासन</p> <p>नोहर</p>

  
 उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
 नोहर ( हनुमानगढ )  
 प्रशासन गांव के संग अभियान-2021  
 कैम्प कोर्ट रामसरा

विषय :- प्रकरण अनवानी बिदामी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-  
1. बिदामी पत्नी रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी चक 26 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।  
2. सावित्री देवी पत्नी देईराम जाति जाट निवासी चक 26 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 19/19 की कुल 5.3000 हैक्ठ भूमि में प्रार्थीयागण का निवास स्थान जोगीवाला सिरसा दर्ज है के स्थान पर निवासी स्थान चक 26 एनटीआर रामसरा संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)  
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021  
कैम्प कोर्ट रामसरा

क्रमशः .....2



2.10.21



Am